

संशोधित आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.1473 सीसी/स्वा.का.पु./2018/1160 दिनांक 10.05.18 में आंशिक संशोधन करते हुये याचिकाकर्ता का नाम “हिम्मत सिंह के स्थान पर हिम्मत सिंह व अन्य 1 (माणिक्य लाल शर्मा)” पढा जावे, आदेश का शेष भाग यथावत रहेगा।

-sd-  
(मुकुल शर्मा)

अति० निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं


राज. जयपुर

दिनांक : 24/7/19

क्रमांक:एफ.1473 सीसी/स्वा.का.पु./2019/921

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. उप शासन सचिव वित्त (नियम) विभाग राज. जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
5. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
6. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन उदयपुर।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौडगढ़।
8. संबंधित खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
9. संबंधित याचिकाकर्ता को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
10. प्रभारी सर्वर रूम, कमरा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
11. आदेश/रक्षित पत्रावली।

  
अति० निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राज. जयपुर